हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 जुलाई, 1997

खण्ड 1, अंक 16

अधिकृत विवरण

बुधवार, 23 जुलाई, 1997

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(16)1
अल्प सूचित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(16)5
22-7-1997 को प्रतिपक्ष के सदस्य, श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय पर स्पष्टीकरण	(16)11
नियम 64 के अधीन वक्तव्य	(16)13
सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में घोषणा	(16)13
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(16)14
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(16)15
बिल्ज —	
(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 1997	(16)15
(ii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 1997	(16)16
(iii) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1997	(16)18
(iv) दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1997	(16)19
(v) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1997	(16)21
सदन की बैठक की कार्यवाहियों को उपलब्ध कराने के लिए सदन की अनुमति	(16)23

मूल्य :

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh
LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 23 जुलाई, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर - 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Construction of a New Subzi Mandi, Julana

***243. Shri Sat Narain Lather :** Will the Minister for Agricultrue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Subzi Mandi in Julana constituency ?

मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा गहलावत) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूँ कि हमारे जुलाना में सब्जी मंडी की बड़ी जरूरत है। इस मंडी के बनने से जहां मार्किट कमेटी की फीस बढ़ेगी इसके साथ ही आम छोटे दुकानदार को भी फायदा होगा। जो लोग जगह-जगह सब्जी लेने के लिए घूमते हैं उनको एक ही जगह सब्जी मिल जाएगी। इसलिए मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि इस सब्जी मंडी के बारे में दोबारा विचार करें?

श्रीमती कृष्णा गहलावत : स्पीकर सर, जुलाना की आबादी 15 हज़ार है। वहां 10-12 छोटे-छोटे सब्जी विक्रेता हैं और रेहड़ी वाले भी हैं। उनसे लोग सब्जी लाते हैं और बेच देते हैं। फल व सब्जी की आवक जुलाना में नहीं है। अगर इसके बावजूद भी ऑनरेबल मैम्बर इसके लिए कहते हैं तो ये लिखकर दें तो इसके बारे में जरूर विचार किया जाएगा।

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर सर, मैंने लिखकर ही तो दिया है तभी तो क्वैशचन आया है। मंत्री महोदया कहती हैं तो मैं दोबारा लिखकर दे दूंगा। अब हमारे इलाके में लोग सब्जी की खेती करते हैं क्योंकि ट्यूबवैल लग गए हैं। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि इस सब्जी मंडी के बारे में पुनः विचार करें।

श्री अध्यक्ष : बहन जी ने बताया है कि वहां 10-12 छोटे-छोटे दुकानदार हैं।

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर सर, जब सरकार की तरफ से सुविधा होगी तो और ज्यादा सब्जी वाले हो जाएंगे। जहां तक लिखने का सवाल है मैं दोबारा लिखकर दे दूंगा।

श्रीमती कृष्णा गहलावत : स्पीकर सर, वहां के जमींदार फल व सब्जियां नहीं उगाते हैं इसलिए वहां सब्जी मंडी का बनना मुश्किल है।

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर सर, बहन जी ने जो आश्वासन पहले दिया था वह भी अब वापस ले लिया है। पहले तो लिखकर मांगा था अब बिल्कुल ही इंकार कर रही हैं।

श्री आनन्द कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मंडी आलरेडी बनी हुई हैं उनमें मंडियां शिफ्ट नहीं हुई हैं जबकि उनके लिए जगह निर्धारित की हुई है। तो वह मंडियां अपनी निर्धारित जगहों पर कब तक शिफ्ट कर दी जाएंगी ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी ने जो सवाल किया है वह बिल्कुल ठीक है। जो मंडियां मार्किटिंग बोर्ड ने बनाई थीं उनके बारे में पिछले काफी दिनों से नीति का निर्धारण नहीं हुआ था कि उनकी ऑक्शन करनी है या क्या करना है लेकिन अब सरकार ने फैसला ले लिया है। राज्य भर में कई मंडियां ऐसी हैं जिनको शिफ्ट करना है, उनका खुली बोली के तौर पर आवंटन करेंगे। जल्दी ही ऐसी मंडियों की शुरुआत हो जाएगी।

श्री आनन्द कुमार शर्मा : स्पीकर सर, बारिश का मौसम आ रहा है और मौजूदा जगह पर गंदगी की वजह से लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है जबकि पक्की मंडियां बनकर तैयार हैं और साल भर से ऊपर उन्हें बने हुए हो चुका है। अगर मंत्री महोदय टाइम बतला सकें तो बेहतर होगा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ऐसे ही आश्वासन आप लाठर साहब को दे दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, जैसा मैंने बतलाया है कि केवल नोटिफिकेशन होनी बाकी है अगर कोई मंडी ऐसी है जहां बहुत ज्यादा गंदगी है तो वहां फिलहाल सफाई करा देंगे। साथ ही हम बहुत जल्द कार्यवाही करने जा रहे हैं कि मंडियां नई जगह शिफ्ट हो जाएं।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, चरखी दादरी सब्जी मंडी आपकी देखी हुई है। उसमें बहुत सड़ांध आती है क्योंकि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। सरकार की प्रोपोजल भी है कि नई मण्डियों की जल्दी ही बनायेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वहां नई मण्डी कब तक काम करना शुरू कर देगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सतपाल सांगवान जी ने चरखी दादरी में जो नई सब्जी मंडी बनाने का सवाल किया है उसके लिए जमीन आईडैंटीफाई हो चुकी है और जल्दी ही उस पर कार्यवाही करेंगे। इनका सवाल बिल्कुल ठीक है।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नई सब्जी मण्डियों को कब तक बनाने जा रहे हैं। भिवानी सब्जी मंडी में एक शैड बना हुआ है उस पर सरकार का लाखों रुपया लगा हुआ है लेकिन वह किसी सब्जी विक्रेता को अलाट नहीं हुआ है। वहां सब्जी मंडी में गंदगी भी रहती है जिसकी वजह से लाखों रुपया सरकार का बर्बाद हो रहा है। सरकार को क्या दिक्कत है। अगर उस शैड को छोटे-छोटे सब्जी विक्रेताओं को अलाट कर दे तो उसकी वजह से वहां सफाई भी रहेगी और सरकार का लाखों रुपये का नुकसान भी नहीं होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया पौलिसी का फैसला हो चुका है और केवल नोटिफिकेशन होनी बाकी है। एल०आर० की राय लेकर हम जल्दी ही आक्शन के माध्यम से अलाट करने का फैसला करके इनकी समस्या का समाधान कर देंगे।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस विषय के बारे में पिछले 7-8 महीने से मैं कह रहा हूँ। मैं मंत्री जी से भी मिला हूँ और भिवानी में संबंधित अधिकारियों से भी मिला हूँ। अब एल०आर० इतने बड़े अधिकारी हो गये कि जिनकी वजह से सरकार का लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, इसका हल जल्दी से किया जाये।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी एल०आर० से बात करके कोई निश्चित तिथि निर्धारित करिये ताकि उस तिथि तक यह काम पूरा हो जाये क्योंकि यह बड़ी भारी समस्या बनी हुई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, एल०आर० साहब से आज ही इस केस की फाइल को निकलवा लेते हैं। कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि अनाज मंडी और सब्जी मंडी की जगह को आक्शन की पौलिसी के द्वारा ही हम लोगों को अलाट करें क्योंकि पहले लोग इस बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते थे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गोहाना सब्जी मंडी की 10-12 दुकानें हैं और वहां पर 50-60 लाईसैंस होल्डर हैं जो सब्जी मंडी के बाहर सड़क पर बैठकर सब्जी बेचते हैं। क्या उनको सब्जी मंडी की दुकानें अलाट करने की तजवीज मंत्री जी करेंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस बात की जांच करा लेते हैं अगर जरूरत होगी तो इनकी इस बात को जरूर पूरी करेंगे।

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बापौली में अनाज मंडी बनी हुई है परन्तु उसके लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि आक्शन से देंगे या ऐसे ही देंगे। इसका क्या कारण है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह सिर्फ बापौली का सवाल नहीं है बल्कि सारे हरियाणा से जुड़ा हुआ है और हमने फैसला कर लिया है कि आक्शन के माध्यम से ही यह जमीन अलाट करेंगे। एल०आर० साहब से आज ही फाइल निकलवा लेते हैं और इस केस की प्रक्रिया शुरू करवा देते हैं।

Flood Problem

***430. Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the drain passing through Mahesh Nagar, Govind Nagar and its adjacent areas causes floods in Ambala Cantt.; if so, the steps taken or proposed to be taken to check the said floods ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

1. It is a fact that the drain passing through Mahesh Nagar & Govind Nagar etc. causes floods temporarily.

2.(i) There is a proposal under consideration to construct a lift link drain in the head reach of this drain to divert/drain out flood water of rural area into River Tangri before it enters Mahesh Nagar area.

(ii) The unlined section of Mahesh Nagar Drain from RD 2,000 to 6,000 is also proposed to be brick lined to improve its drainage efficiency.

[Shri Bansi Lal]

(iii) It is proposed to acquire land for drain RD 0 to RD. 2,200 down stream of pump house of Mahesh Nagar Drain to construct a regular section because at present, it passes through the private land and the owners obstruct the flow and do not allow the Irrigation Department to dig full section of the drain in this portion.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, महेश नगर, गोविन्द नगर तथा इसके साथ लगते क्षेत्रों से गुजरने वाली ड्रेन के कारण अम्बाला छावनी में बाढ़ आती है जिससे सारा शहर बाढ़ के पानी में डूबा रहता है। इसके बारे में जो स्टेटमैंट पेश की गई है यह स्टेटमेंट ऐप्रोप्रिएट है। मैं समझता हूँ कि यह स्टेटमैंट तीन पार्टस में दी गई है। अगर इन तीनों प्रोपोजल्ज पर काम पूरा हो जाए तो अम्बाला छावनी हरियाणा में एक "फ्लड फ्री" शहर घोषित किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इन तीनों प्रोपोजल्ज को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या इस वित्तीय वर्ष में कुछ फंड का प्रावधान किया गया है ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विज साहब ने बताया, इसके तीन हिस्से बनने हैं। एक हिस्सा आर०डी० 0 से आर०डी० 2200 तक प्राइवेट जमीन में बनना है। प्राइवेट जमीन वाले वहां खुदाई करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब उस जमीन को हम एक्वायर करने जा रहे हैं। दूसरे, यह आर०डी० 2000 से 6000 तक पक्की होनी है। तीसरे, आर०डी० 6000 से 15000 तक पहले ही प्लान की जा चुकी है और फिर इससे आगे आर०डी० 26000 तक लिंक ड्रेन बनेगी। फिर उस लिंक ड्रेन से ऊपर नम्बर -3 स्कीम एग्जीक्यूट की जाएगी। जो यह 2200 मीटर में यूनिट लगा हुआ है, वहां पर एक लिफ्ट भी लगेगी। इन सब स्कीमों को मिलाकर कुल 65 लाख रुपये खर्च होंगे तथा इन तीनों स्कीमों का कार्य जून, 1998 तक कंपलीट हो जाएगा। (थंपिंग)।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय का इस कार्य के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय के विधान सभा क्षेत्र अंबाला शहर में तीन ड्रेन हैं। एक तो अंबाला ड्रेन है जो कि घग्घर में गिरती है। दूसरी सैशन कोर्ट ड्रेन है तथा तीसरी घेल ड्रेन है। इन तीनों ड्रेनों की सफाई के लिए हमने मौके पर एक्सकावेटर भेज दिए हैं तथा वहां पर वे कार्य कर भी रहे हैं। इस कार्य के लिए हम ने दस लाख रुपये संबंधित एस०ई० को दे दिए हैं तथा यह कार्य भी मेरे ख्याल से 15-20 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय का इस कार्य के लिए धन्यवाद करता हूँ।

तारांकित प्रश्न सं० 359

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं० 415

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र पाल अहलावत सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं० 438

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रामफल कुंडु सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं० 440

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री मनी राम सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं० 425

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भागी राम सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं० 442

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र पाल अहलावत सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं० 361

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न सं० 424

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भागी राम सदन में उपस्थित नहीं थे)

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो कि शार्ट-नोटिस पर आए थे तथा गवर्नमैंट को भेजे गये थे। The Ministers concerned have agreed to reply them.

Over Payment

***459. Shri Sat Pal Sangwan :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether it is a fact that over payment for the construction of road from village Misri to Kasni in District Bhiwani has been made to the contractor whereas the said road is still lying incomplete; if so, the reasons

[Shri Sat Pal Sangwan]

thereof togetherwith the action taken or proposed to be taken against the officers/officials held responsible for making the said payment ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) : Yes, sir. In case of road from Mirch to Kasni preliminary enquiries conducted by S.E. Bhiwani reveal that over payment has been made and part work has been shown complete while at site gaps exist.

Action against officers will be taken after detailed enquiry is conducted and responsibility of officers is fixed.

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फाइनल बिल की पेमेंट तो 29-9-95 को हुई थी और अब जब हम ने यह प्रश्न सदन में कर लिया है तो इस केस की इन्क्वायरी होनी शुरू हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले इस केस की इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई ? अगर हम सदन में यह सवाल नहीं करते तो कितना ही बड़ा घपला हो जाता, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि लगभग दो साल हो गये हैं, अभी तक इस केस की इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, पहले आफिसर्ज़ की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर दी गई है। 1995 में यह सड़क बनी थी तथा इस केस में दो एग्रीमेंट हुए थे। इसमें कंट्रैक्टर सोमवीर सिंह था। इस केस में सरकार को ओवर-पेमेंट की वजह से लगभग 1 लाख 39 हज़ार रुपये का नुक्सान हुआ है। इसलिए जितनी ओवर पेमेंट कंट्रैक्टर को हुई है, उतनी ही पेमेंट कंट्रैक्टर की रोक ली गई है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह कार्य कंपलीट होने में लगभग 6 महीने लगेंगे।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, यह आपके एरिया की सड़क है। जब मैं आपके साथ आपके एरिया में गया तो उस समय हमने वहां के एक्सीयन से पूछा था कि यह सड़क कम्पलीट क्यों नहीं की गई है तो उसने बताया कि इसकी कंट्रैक्टर को ओवर पेमेंट हो गई इसलिए इसका काम कम्पलीट नहीं हो पाया। ओवर पेमेंट के बारे में हमें एक्सीयन से पता लग गया वरना तो यह मामला वैसे ही पड़ा रहता। उस सड़क का साइट पर अर्थ वर्क का केवल 20 हज़ार रुपये का काम हुआ है और पेमेंट 77 हज़ार रुपये की हुई है। उसके जो टैंडर हुए वह भी पार्टस में हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का काम दो हिस्सों में बांट कर कंट्रैक्टर्ज को दिया गया। इसमें इंटेलीजैंसी यह दिखाई गई कि इस सड़क का एक हिस्सा 3.02 किलोमीटर कम्पलीट करने के लिए एक कंट्रैक्टर को ठेका दिया गया और बाकी का इसी कंट्रैक्टर की सोसाइटी को दिया गया। इस सड़क के एस्टीमेट में एक बड़ी वन्डरफुल चीज है। एस्टीमेट में पहले 15 मीटर दूर से मिट्टी लाई गई दिखाई है और पेमेंट में एक किलोमीटर दूर से मिट्टी लाई गई दिखाई गई है। इससे ज्यादा घपला क्या हो सकता है। इस तरह की बात एक जगह ही नहीं है। मंत्री जी को पता है कि हिसार में तारकोल के बारे में इंक्वायरी कराई गई जिसमें 10 या 15 लाख रुपये का गबन है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह कब तक चलता रहेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर साहब, सांगवान साहब कल से बड़े थंडरिंग अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं। (हंसी)

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार का उद्देश्य काम कराने का होता है और कंट्रैक्टर का कमाई करने का उद्देश्य होता है। अगर औफिसर्ज या कंसर्न्ड मंत्री की वजह से इस तरह की ओवर

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

पेमेंट हो जाती है तो उसका सरकार को पता नहीं लगता लेकिन इस सरकार के आने के बाद अनेकों इंक्वायरियां की गई हैं। जिस किसी जगह पर हमें किसी भी माननीय सदस्य या मंत्री जी ने इस तरह की बात बताई उसकी हमने डिटेल्ड इंक्वायरी कराई है। हमारे मुताबिक इस बारे में ओवर पेमेंट हुई है। इस पैसे की कंट्रेक्टर से रिकवरी हो जाएगी। माननीय सदस्य ने तारकोल के बारे में जो बात कही है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। इस बारे में माननीय सदस्य मुझे बता दें मैं उसकी इंक्वायरी करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी मिसरी और कासनी ये दोनों गांव मेरी कांस्ट्यूएंसी के हैं। इस सड़क की लम्बाई मुझे जहां तक याद है 3.95 किलोमीटर है। इस सड़क को बनाने का ठेका 1993 में दिया गया था। अभी माननीय सदस्य सांगवान ने बताया कि उस सड़क के काम को मैनूप्लेटिंग ढंग से दो हिस्सों में बांटा गया। उस सड़क को बनाने के काम को दो हिस्सों में बांटना गलत था। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस सड़क के बनाने के काम को दो हिस्सों में क्यों बांटा गया ? उस सड़क की कुल लागत 6 लाख 98 हजार कुछ रुपए थी। उस सड़क के लिए वहां पर जो मिट्टी डाली गई है वह मैंने और सांगवान साहब ने देखी है। वहां पर चार फुट मिट्टी डाली गई दिखाई गई है लेकिन एक्चुअल में हमने वहां पर मिट्टी को खोद कर देखा था वहां पर डेढ़ फुट से ज्यादा मिट्टी नहीं डाली गई है। सड़क के बीच बीच में गैप पड़े हैं। वहां पर 70 हजार की जगह 16 हजार रुपए का ही काम किया गया है। मैं उस इलाके का नुमायंदा हूं। कृपया मंत्री जी यह बताएं कि कंसर्न्ड अधिकारी उस सड़क को बनाने में या कम्पलीट करने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं I am very grateful to Shri Sangwan, who has raised this question. मंत्री जी आप यह बताएं कि वे कौन कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने इस सड़क को कम्पलीट करने में आनाकानी की है और जिन अधिकारियों ने आनाकानी की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा चुकी है। अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है और इस सड़क को कब तक कम्पलीट करा दिया जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के काम को कम्पलीट न करने की कोताही के लिए अब तक बी०एस० सिंगला,एक्सीयन, बलवान सिंह एस०डी०ओ०और प्रताप सिंह, जे०ई० को रिस्पोंसिबल ठहराया गया है। ये तीनों पहले ही सस्पैंड हो चुके हैं। इस सड़क का काम 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : ये सभी इस मामले में सस्पैंड हैं या किसी और मामले में सस्पैंड हैं।

श्री धर्मवीर यादव : वे पहले ही सस्पैंड हैं और किसी सस्पैंड को फरदर सस्पैंड करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठेकेदारों के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि 10 परसैंट की हमारी जो कंडीशन उनसे बतौर सिक्योरिटी लेने की है वह हमारे पास है, उस पेमेंट को हमने रोक दिया है। जितना भी लौस उनकी वजह से हुआ वह इस सिक्योरिटी वाली पेमेंट से पूरा हो जाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगले छः महीने में इस सड़क को पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया?

श्री धर्मवीर यादव : पूरी इन्क्वायरी होने के बाद ही यह डिसिजन लिया जाएगा।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, ये जिस एस०डी०ओ० का नाम लेते हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो फाईनल बिल बनाया गया है वह सरदार अमरजीत सिंह या

[श्री सतपाल सांगवान]

अमरीक सिंह जी के नाम पर है। उस पर एक्शन होना चाहिए। आपके कहने के बाद मैं इस सड़क पर गया हूँ और पूरी डिटेल पता लगाई है। स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि ठेकेदार जिम्मेवार है। मैं कहना चाहूंगा कि जब टैण्डर होता है तो टैण्डर के अन्दर होता है कि सड़क की चौड़ाई 24 फीट होगी और अर्थ की हाईट 3 फीट होनी चाहिए। स्पीकर साहब, आपने भी देखा कि उस सड़क की चौड़ाई 15 फीट से ज्यादा नहीं है और डेढ़ फीट से ज्यादा ऊंची नहीं है। वहां पर 15 मीटर से मिट्टी उठाई गई है और 1 किलोमीटर की दिखाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक्त जो आफिसर्ज थे क्या उनको उस वक्त इस सड़क को देखने का मौका नहीं मिला। दूसरे मंत्री जी कह रहे हैं कि नेशनल हाईवेज डिवीजन हिसार में जो तारकोल की चोरी हुई, उसका मंत्री जी को पता नहीं, मुझे बड़ा अचम्भा होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि इन्क्वायरी उसकी हो रही थी और 15 लाख के तारकोल की चोरी हुई है। मैं बड़ा सरप्राईज हूँ कि इतनी बड़ी चोरी के बाद भी इनको उसका पता नहीं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे वहां पर जितनी भी सड़कें बनी हैं उनकी पहले भी इन्क्वायरी हुई है और इस सड़क की 10 दफा इन्क्वायरी हुई है। लास्ट में कोई विजिलैंस का आफिसर जा कर कह गया कि वहां पर कोई कमी नहीं है। आप स्वयं देखें कि वह सड़क अभी बनी नहीं है। मैं तो मंत्री जी से कहता हूं कि इस की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाये और मंत्री जी खुद मौके पर जाकर सारी बातों का पता लगाएं कि इस सड़क पर क्या मैटिरियल डाला है। यह फील्ड के टाईम काम हुआ था। मैं तो फिर कहता हूं कि कम से कम इनको देखना चाहिए कि वहां पर क्या काम हुआ है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि इस काम को पूरा करवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी जिस सड़क के बारे में चर्चा हो रही है, आपकी सरकार आने के बाद उस पर काम नहीं हुआ। आप इसकी जांच पड़ताल करें।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने भी बताया और माननीय सदस्य जी ने भी बताया। इसकी इन्क्वायरी पहले ही करा रहे हैं। स्टेट विजिलैंस से इसकी इन्क्वायरी करायी गई है और डिपार्टमैंटल भी इन्क्वायरी हो रही है जो उचित कार्यवाही होगी वह हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप यह सड़क कब तक बना देंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस सड़क को अगले छः महीने में बना देंगे।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो घपले होते हैं उस बारे में मेरा सुझाव है। जहां पर कन्स्ट्रेक्शन होती है और जिस वजह से लाखों रुपये के घपले होते हैं उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वहां पर एक बोर्ड लगाया जाये कि इस सड़क के बनाने कि क्या कोस्ट है कौन ठेकेदार काम कर रहा है और कब तक पूरी होगी। अगर सरकार ऐसा कर देती है तो जनसाधारण को भी पता रहेगा और वह भी शिकायत कर सकेगा। क्या ऐसा बोर्ड लगाये जाने पर सरकार विचार करेगी?

श्री धर्मवीर यादव : मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि विभाग पहले ही इस मामले में कार्यवाही कर रहा है और हम ऐसा करने जा रहे हैं।

श्री कैलाश चन्द शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पांचनीया से रूपड़वासा एक रोड जाता है। उसका 6 लाख रुपये का एस्टिमेट है और उस पर 21 हजार रुपये की पेमैंट हुई है। वहां पर रोड़ियां भी सड़क के दोनों साइडों पर पड़ी हुई हैं। तकरीबन 200 आदमियों को साथ लेकर मैं उन 6-7 सड़कों पर घूमा हूं और उन सड़कों के फोटोज भी लिए हैं। मैंने इस मामले

को प्रिवैसिज़ कमेटी, नारनौल में उठाया है। दूसरी बात यह है कि रत्नवास गांव राजस्थान बौर्डर से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है और राजस्थान से आकर वहां पर रोड लगती है। पिछले तीन महीने से उस रोड पर तारकोल पड़ा हुआ था। पिछले करीब 10 दिन पहले वह तारकोल 3 ट्रकों में उठा कर वहां से ले गए। मैंने इस प्रश्न को प्रिवैसिज़ कमेटी, नारनौल में भी रखा था। मुझे पता यह लगा है कि उस तारकोल को रिवाड़ी आफिस में एडजस्ट कर रहे हैं। इस सड़क पर अभी तारकोल का काम होना है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार राजस्थान बौर्डर से एक सड़क नायन से ढाणी काकड़वाली है। इस सड़क के बारे में एस०डी०ओ० और एक्सीयन की रिपोर्ट है कि इस सड़क का 50% काम पूरा हो चुका है। इस रोड पर 5 साल से काम हो रहा है लेकिन सड़क पूरी नहीं हुई है। इस सड़क का भी करीब दो सौ आदमियों को मौका दिखाया है और इसके फोटो भी मेरे पास हैं। इस मामले को भी मैंने प्रिवैसिज़ कमेटी, नारनौल में रखा है। यह करीब डेढ़ किलोमीटर का टुकडा है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय इन फैक्टस की जांच करवाएंगे और इन सड़कों का काम कब तक पूरा करवा देंगे?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आज तक इस बारे में कुछ भी लिख कर नहीं दिया है। इसके साथ ही ये फोटोज़ का भी ज़िक्र कर रहे हैं, उन फोटोज़ का एल्बम तैयार करके इन्होंने अपने ही पास रखा हुआ है। इन्होंने न तो कोई फोटो मुझे दी है और न ही कोई शिकायत इनकी ओर से मुझे प्राप्त हुई है। अतः मैं चाहूंगा कि इस बारे में ये लिखित रूप में भिजवा दें ताकि उस पर कार्यवाही हो सके।

श्री कैलाश चन्द शर्मा : मैंने अपनी शिकायत की एक कॉपी इनको पहले भी भिजवाई है। अगर मन्त्री जी कह रहे हैं तो मैं एक और कॉपी भी इनको भिजवा दूंगा। मैंने इस बारे पार्टी मीटिंग में भी कहा था। मन्त्री जी को मैं फोटोज़ भी भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, जब मंत्री जी अपने दफ्तर में बैठे हों उस समय आप लिखित रूप में इनको दे दें तो ठीक रहेगा।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहूंगा कि हमारे ऐरिया की दो सड़कें मन्जूर शुदा थी। एक सड़क बुराधाड़े से गुबारा और दूसरी सड़क गुड़ा बुआना से इंगरां है। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने इन सड़कों को कम्पलीट करवाने का आश्वासन भी दिया था। एक सड़क का अर्थ वर्क हो चुका है लेकिन दूसरी सड़क का काम अभी चालू नहीं हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन सड़कों का काम कब तक कम्पलीट हो जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि पी०डब्ल्यू०डी० के लिए अप्रैल, मई और जून काम करने का सीज़न होता है लेकिन बदकिस्मती से इस साल यह सीज़न शुरू नहीं हो पाया क्योंकि हर हफ्ते बरसात और तूफान आता रहा जिसके कारण अप्रैल, मई और जून के महीनों में सड़कों का कार्य शुरू नहीं हो पाया। हमारा जो उद्देश्य था पोट होल्ज़ रिपेयर करने का उस को पूरा नहीं कर सके। बरसात के बाद हम इनकी सड़कों का काम करवाने बारे विचार करेंगे।

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में सात साढ़े सात किलोमीटर की ऐसी रोडज़ हैं जो कि छोटे छोटे टोटे हैं और लिंक रोडज़ हैं। ये रोडज़ वर्ष 1987 में चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के वक्त में मन्जूर हुए थे और इनका अर्थ वर्क का काम भी हो चुका था। दूसरी सरकार ने आर्थिक कारण से इन सड़कों का काम रद्द कर दिया था। साढ़े तीन किलोमीटर का टोटा जी०टी०रोड० से पेहवा डेरा और दूसरा टोटा रामगढ़ गांव का मन्जूर शुदा था जो कि पूरा नहीं हुआ।

Mr. Speaker : You ask relevant question. I think it is not relevant.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सांगवान साहब ने एक पार्टीकुलर प्रश्न एक पार्टीकुलर रोड़ के बारे में पूछा है। मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो पार्टीकुलर प्रश्न उठाया गया 10.00 बजे है तो इस प्रकार की शिकायतें और घटनाएं प्रांत के दूसरे स्थानों में भी हो सकती हैं कि काम कागजों में तो हो गया हो, लेकिन मौके पर न हुआ हो। तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक हायर लैवल की कमेटी बनाई जाए, जो रैन्डम चैकिंग करे और मौके पर जाकर काम की फिजीकल वैरीफिकेशन करे ताकि इस प्रकार की कोई घटना न हो सके ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पहले ही ऐसी एजैन्सी है जो मौके पर जाकर इन्क्वारी करती है, वहां पर मैटिरियल को टैस्ट करती है और मैटिरियल को लैबोरेटरी में ले जाकर चैक करती है। हमने पहले भी सभी मैम्बर्ज से प्रार्थना की थी कि जब उनके हल्के में कोई काम होता है तो वे खुद भी उस काम का ध्यान रखें। अगर वहां पर कोई कमी हो तो हमारे नोटिस में लाएं ताकि उस पर प्रशासनिक कार्यवाही की जा सके।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, एक बात मंत्री जी की नौलेज में नहीं है वह मैं बताना चाहता हूं। हिसार के नैशनल हाई-वे डिविजन में 15 लाख के तारकोल का घोटाला बताया है, क्या उस बारे में वैरीफाई करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी यह बात नोटिस में आ चुकी है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने पिछले सैशन में माना था कि इस महकमें में 60 प्रतिशत लीकेज है। ये अब यह बताएं कि इस लीकेज को रोकने के लिए इन्होंने क्या कार्यवाही की और अब यह लीकेज कितने प्रतिशत है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, लीकेज कई प्रकार की होती हैं। माननीय सदस्य लिख कर दे दें कि ये किस लीकेज के बारे में कह रहे हैं। हम उस पर कार्यवाही करेंगे और इनको बता देंगे।

श्री जगदीश नैयर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने पिछली बार हाउस में आश्वासन दिया था कि हमारे यहां जो रैस्ट हाउस है उसकी छत डाल दी जाएगी लेकिन वह छत आज तक नहीं डाली गई है। अब वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रोग्राम रख दिया गया है और आजकल बारिश का मौसम है, मैं माननीय मुख्य मंत्री को कहां पर बिठाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, वहां पर छत डालने की बजह एक बरसाती डाल दी है वह तो मैं भी कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के की कुछ सड़कें टूटी पड़ी हैं। जब मंत्री महोदय, वहां पर आये थे तो मैंने वहां पर इनका स्वागत भी करवाया था। उस बक्त मैंने मंत्री जी को उन सड़कों के बारे में बताया था। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वहां पर काम 15-20 दिनों में शुरू करवा देंगे। आज वहां के लोग मुझे पूछते हैं कि 15-20 दिन की बजाए तीन महीने हो गये हैं, सड़कें तो बनी नहीं हैं। मुझे मंत्री जी यह बताएं कि उन सड़कों को कब तक बनवा देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, इनकी कांस्टीच्यूएंसी में जो-जो सड़कें हैं मैं उनको वहां पर जाकर नाप लूँगा। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी नापने से काम नहीं बनेगा, उनको बनवा दो। (हंसी)

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्यूएंसी लोहारू के अन्दर तीन सड़कें हैं। एक सड़क फरटिया भीमा से फरटिया ताल तक, दूसरी सड़क भूढेरा से बीठन तक और तीसरी बढदू मुगल से नई मुगल तक है। इन तीनों पर एक साल पहले अर्थ वर्क हुआ था और रोड़ी डाली गई थी लेकिन तारकोल नहीं डाला गया था। उसको आज एक साल हो गया है। आज भी वहां पर तारकोल नहीं डाला गया है जिससे वहां पर लोगों को परेशानी होती है। क्या इन तीनों सड़कों पर तारकोल डालने के लिए मंत्री जी समय निर्धारित करेंगे कि कब तक तारकोल डाल दिया जाएगा ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इन तीनों सड़कों पर अगले छः महीने में काम पूरा कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : यादव जी, इन तीनों सड़कों पर काम पूरा कर दिया जाएगा या राज्य की सभी सड़कों का काम कम्पलीट कर दिया जाएगा ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, सबको ठीक करने में तो हमें तीन साल लगेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 460

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 461

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 462

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

22-7-1997 को प्रतिपक्ष के सदस्य, श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय पर स्पष्टीकरण

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी आज यहां सदन में होते तो कुछ और बात होती। हमारे विपक्ष के भाईयों ने एक तरीका बनाया हुआ है। वे अपनी सभी बातें यहां पर कह जाते हैं और जब उन बातों का जवाब सुनने की बारी आती है तो वे भाग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने पिछले कल जो यहां पर उल्ट-पुल्ट बातें कहीं थी उनका कल ही सही

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

जवाब दे दिया गया था। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि कल बीरेन्द्र सिंह जी ने श्री सुरेन्द्र सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बारे में कहा था तो अध्यक्ष महोदय, उन्हीं दिनों का आठ जून, 1982 का अंग्रेजी का स्टेटसमैन अखबार जो नयी दिल्ली से छपता है और जिसकी एक प्रति मेरे पास है, में से मैं आपके सामने सच्चाई पढ़ना चाहता हूँ। इस अखबार में इससे संबंधित हैडिंग है -

Surinder Singh joins Hayana Ministry.

"Mr. Surinder Singh, s/o Shri Bansi Lal sworn in as a Minister at the 4th oath taking ceremony of the new Haryana Ministry at the Raj Bhavan, today. This brings its strength to 22.

As on previous occasions, Mr. Bhajan Lal, Chief Minister told reporters after the ceremony that more Ministers would be appointed only after the Assembly Session. Mr. Surinder Singh has been given the portfolios of Agriculture and Wild Life.

Never before in the history of this Joint Capital of the two States, has there been a more unwilling person to take oath as a minister when Mr. Surinder Singh, who won by the largest margin in last month's elections.

He came with dark glasses on, something unusual for him, took the oath almost in whisper, had no refershments after the ceremony and kept to himself most of the time, not once did he have a smile on his face during the function. One needed no proof to know that he has been forced into becoming a minister."

स्पीकर साहब, लिखा तो इस अखबार में और भी कुछ है जिसको वीरेन्द्र सिंह जी भी अच्छी तरह से जानते थे लेकिन कल वे न जाने क्या-क्या बातें कह गये। इस अखबार में आगे लिखा है कि -

"The Chief Minister, however, had been feeling nervous and felt that Mr. Surinder Singh's inclusion alone would ensure the group's support. Repeated offers had failed to bait Mr. Surinder Singh, who is almost as rigid as his father. But this time the Party High Command directed him to join the Ministry. It is reliably learnt that Mr. Rajiv Gandhi also advised him thus.

While there is no threat to the Ministry from Mr. Surinder Singh or Mr. Bansi Lal, it is too much to believe that Mr. Bansi Lal and Mr. Bhajan have come closer. Mr. Surinder Singh has agreed only at the instance of the Party High Command and the situation remains more or less the same."

अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से इस अखबार ने लिखा है। ये सारी बातें आपने देखीं कि किस तरीके से वीरेन्द्र सिंह जी ने कल सदन को गुमराह करना चाहा था। जबकि इस बारे में मैंने आपको सारी सच्चाई पढ़कर सुना दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही सबमिशन करना चाहता था।

मुख्य मंत्री (श्री बंसीलाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक सबमिशन है। मैं अपनी कल की दी हुई एक छोटी सी स्टेटमैंट सही कर दूं। कल मैंने कहा था कि सुरेन्द्र सिंह द्वारा उस समय ओथ लेते समय मेरी फैमिली का कोई मैम्बर उपस्थित नहीं था लेकिन अखबार में लिखा है कि उस समय सुरेन्द्र सिंह की वाइफ, मेरी वाइफ और मेरी लड़की उपस्थित थीं। इनके अलावा बाकी और कोई मैम्बर मेरी फैमिली का उस समय नहीं था।

नियम 64 के अधीन वक्तव्य

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Hon'ble Mr. Speaker, with your permission, I make a statement.

The Pay Scales of State Government employees and the rates of pension to its pensioners were last revised with effect from 1.1.1986 on 29.4.1987 on the Central Government pattern. The Central Government constituted the Fifth Pay Commission under the chairmanship of Mr. Justice S.R. Pandian (Retd.) on 9.4.1994 to review, among others, the pay structure and various allowances being paid to Central Government employees and its pensioners and to make its recommendations. The Fifth Pay Commission submitied its recommendations to the Central Government on 30th January, 1997 and the Central Government has, as per press reports, decided to implement the recommendations of the Fifth Pay Commission with some modifications. The exact details of the Central Government's decision are awaited. My Government assumed office on 11.5.1996 and it was the commitment of Haryana Vikas Party and Bhartiya Janta Party, before the elections, to grant pay and allowances to our employees on the pattern of Central Fifth Pay Commission, as accepted by the Central Government. Therefore, I again reiterate on the floor of this august House that the State Government is committed to grant pay and allowances to its employees and pensioners with effect from 1.1.96 on the pattern of the Central Government. The recommendations shall be implemented after getting the same processed by a Committee of Secretaries headed by the Chief Secretary for which a notification is being issued shortly.

सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में घोषणा

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received an intimation of arrest of following members in FIR No. 108 dated 22.7.1997 with Police Station North, Chandigarh under section 188 of I.P.C. :-

1. Shri Ashok Kumar;
2. Shri Mani Ram;
3. Shri Ram Phal Kundu;
4. Shri Bhagi Ram;
5. Shri Banta Ram;
6. Sardar Jaswinder Singh;

[Mr. Speaker]

7. Smt. Vidya Beniwal;
8. Shri Nafe Singh Rathee;
9. Shri Ramji Lal;
10. Shri Suraj Mal;
11. Shri Rishal Singh;
12. Shri Ram Pal Majra;
13. Shri Virender Pal;
14. Shri Krishan Lal;
15. Shri Balwant Singh Maina;
16. Shri Sri Krishan Hooda;
17. Shri Balbir Singh;
18. Shri Nafe Singh;
19. Shri Dilu Ram;
20. Shri Jai Singh Rana;
21. Shri Satwinder Singh Rana; and
22. Shri Randeep Singh Surjewala.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to move -

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the Provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly'. indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved -

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Question is -

That the proceedings on the items of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule ' Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to move —

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is —

That Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

बिल्ज़

(i) हरियाणा एप्रोप्रिएसन (नं० 3) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1997.

Sir, I also move that —

The Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is —

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will intorduce the Haryana Legistative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1997

I also move —

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That the Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा कोआपरेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now, the Cooperation Minister will introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Cooperation Minister (Sh. Narbir Singh) : Sir, I introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1997.

Sir, I also move —

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Cooperation Minister will move that the Bill be passed.

Cooperation Minister (Shri Narbir Singh) : Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा सैलरीज एंड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will intorduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 1997 and will also move for its consideration.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 1997.

Sir, I also move —

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 1997 and will also move for its consideration.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 1997.

Sir, I also move —

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री सतपाल सांगवान (दादरी) : स्पीकर साहब, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जब हमें कोई आदमी पूछता है कि आपकी तनखाह कितनी है तो हमें यह कहते हुए महसूस होता है कि हमारी तनखाह 500 रुपये महीना है। स्पीकर साहब, सदस्य बनने से पहले जब मैं सरकारी नौकरी में था तो मेरी इससे ज्यादा तनखाह थी। मेरे अपोजिशन के भाई सदन में उपस्थित नहीं हैं वे हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते थे कि आप लोग सदस्यों की तनखाह बढ़ाने के बारे में सी०एम० साहब से प्रार्थना करें। आपके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। मैं इसके लिए एक बार फिर मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula.

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will move —

That the Bill be passed.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to move —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सदन की बैठक की कार्यवाहियों को उपलब्ध कराने के लिए सदन की अनुमति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a communication dated the 23rd July, 1997 from the Advocate General, Haryana, which reads as under :-

> "The proceedings of the Haryana Vidhan Sabha dated 17th and 18th March, 1997, are required to be produced in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court in connection with C.W.P. No. 10259, 10245 of 1997, fixed for hearing for today.
>
> You are, therefore, requested to kindly arrange to supply the copies of the proceedings of the dates stated above, through special messenger immediately."

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the proceedings of the meetings of the House dated 17th & 18th March, 1997 be supplied to the Advocate General, Haryana, as required.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर साहब, कल भी इस बारे में हमारे विपक्ष के साथियों ने सभी बातों को स्वीकार किया और भारत के संविधान में आर्टिकल 212 में यह प्रावधान है और इस तरह की बात कोई पहली बार नहीं हुई है। किसी भी विधान सभा का, लोक सभा का या राज्य सभा का जो प्रोसीजर है, जो उसके अन्दर की यानी सदन के अन्दर की कार्यवाही है उसके बारे में संविधान निर्माताओं ने पहले ही प्रावधान किया था। जहां तक विधान सभा की कार्यवाही की बात है, जब उसकी पब्लिकेशन हो जाती है तो तब वह एक पब्लिक डाकुमैंट हो जाती है। उसके बाद उसे पोलिटिकल साईंस के छात्र भी पढ़ते हैं तथा दूसरे लोग भी उसे ले जाते हैं। यह सदन लोगों की इच्छा पर यानी उनकी इच्छाशक्ति पर और संविधान द्वारा जो उनके प्रदित अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं उनके द्वारा चुना हुआ आगस्ट हाउस है। इसी तरह से लोकसभा और बाकी सारे आगस्ट हाउस हैं। ये अपने आप में शक्तिशाली हैं। लेकिन इसके अन्दर की जो गतिविधियां हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारे कुछ साथी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं जो यहां पर अपनी बात कह सकते हैं उन्हीं साथियों को कल बार बार आग्रह किया गया, उन सब से निवेदन किया गया कि आप अपनी बात पूरी कह कर जायें, सरकार की आलोचना करके जाएं। हमारी कमजोरियों पर टिप्पणी करके जाएं परन्तु स्पीकर साहब, वे ऐसा नहीं कर सके। स्पीकर साहब, इसका हमको बड़ा भारी खेद है। हम सब विधायक हैं, हम सब के एक जैसे अधिकार हैं। चाहे कोई सत्ता पक्ष का विधायक है या चाहे विपक्ष का विधायक है। इस सदन की गरिमा के हिसाब से संविधान में जिस चीज का प्रावधान है उसका आर्टिकल 212 में साफ सुथरी भाषा में प्रावधान किया है कि हाउस के अन्दर की गतिविधि की जो कार्यवाही है, कोई भी अदालत उसको मंगवा नहीं सकती। You are not only a person, you are an institution also. संविधान का जो प्रावधान है उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय से हट कर एक बात कहता हूँ। विपक्ष की गैर हाजरी हमें भी अखरती है। उनको यहां पर आना चाहिए था। एक तरफ तो वे कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि काम नहीं चलता। हमने यह सैशन बिजली बोर्ड के रिफार्म का बिल पास करने के लिए बुलाया था। हम चाहते थे कि हम उनकी राय सुनें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी यानी दोनों पार्टियां वचनबद्ध हैं, हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली देने के लिए। इसीलिए हम यह प्रावधान करना चाहते हैं और इसलिए यह बिल लाये हैं। हम बड़ी तेजी से इस दिशा में बढ़ रहे हैं और जैसा मैंने कल भी निवेदन किया था कि अगले दो-अढ़ाई साल के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश का कोई भी आदमी यह नहीं कह सकेगा कि 24 घंटे में से एक मिनट भी बिजली नहीं मिल रही। यही प्रावधान करने के लिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं। उनकी तरफ से शोर मचाना कि यह जनता विरोधी बिल है, वाक आउट कर गये। उनको जवाब सुनना चाहिए था। यह बिल हरियाणा की जनता को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। वे कह रहे थे कि हम इसका निजीकरण करने जा रहे हैं जबकि हमने निजीकरण नहीं किया है। सिर्फ एक इतनी ही बात कही है कि बिजली बोर्ड की तीन सरकारी कम्पनीज बनायी जायेंगी। पहली बिजली पैदा करने वाली है, एक बिजली ट्रांसमीशन करने वाली और एक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। अलबत्ता डिस्ट्रिब्यूशन में स्टेट में चार जोन्ज़ बनाएंगे। एक जोन ज्वायंट वैंचर में होगा। उसमें हरियाणा सरकार भी पार्टनर होगी और दूसरे भाई भी उसमें होंगे। हम यह काम एक एक्सपैरिमैंट के तौर पर करेंगे। अगर एक्सपैरिमैंट कामयाब होगा तो आगे

बढ़ेंगे और अगर एक्सपैरिमैंट कामयाब नहीं हुआ तो 100% डिस्ट्रिब्यूशन का काम सरकार में रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, वे लोग इम्प्लायज़ को भड़काते थे कि तुम्हारी रिट्रैन्चमैंट हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी यह बात साफ कर दी थी कि किसी इम्प्लॉई का रिट्रैंचमैंट नहीं होगा, किसी इम्पलाई को निकाला नहीं जाएगा, किसी इम्प्लाई की सर्विस कण्डीशन्ज़ नहीं बदली जाएंगी। पांच साल का समय कर्मचारी को दिया है, इन पांच सालों में वे खुद तय कर लें कि उन्हें सरकार की किस कम्पनी में रहना है। अध्यक्ष महोदय, उन भाईयों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था इसलिए वाक आउट करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे यहां पर बैठते और ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कहते कि हम इसकी मुखाल्फत करते हैं। कांग्रेस की सरकार में चौधरी भजन लाल ने 25.2.1996 को जो बिल पास किया था वह तो बिजली की प्राईवेटाईज़ेशन का ही था। बिजली की जैनरेसन तो पहले ही प्राईवेटाईज़ कर रखी थी। हमने तो कुछ भी प्राईवेटाईज़ नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, जिस कार्यवाही के बारे में भाई राम बिलास शर्मा जी ने कहा कि इसके लिए एडवोकेट जनरल ने कल आपसे कहा था कि पैटिशनर्ज ने कुछ ऐसे फैक्ट्स कोर्ट में दिए हैं जो कि केवल उन्हीं के हक में पड़ते हैं। अगर दिन भर की पूरी डिबेट दिखाई जाएगी तो अदालत उसका सही अन्दाजा लगा सकेगी। इसलिए हमने इस बात पर एग्री किया है कि हां दे देनी चाहिए वरना तो यह हाउस का प्रिविलेज है, तो मैं समझता हूं कि उस कार्यवाही को देने में कोई एतराज़ नहीं है।

Mr. Speaker : Question is —

That the proceedings of the meetings of the Haryana Vidhan Sabha held on 17th and 18th March, 1997 be supplied to The Advocate General as desired.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned sine-die.

*10.37 hrs. (The Sabha then * adjourned sine-die.)

29036—HVS—H.G.P., CHD.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh
LIBRARY